

14/7/23 आज थक पत्रावली वादी अधिवक्ता  
 द्वारा प्राथमिक पत्र पेश करने पर  
 पेशी में ली गई। वादी द्वारा प्राथमिक  
 पत्र में विवेदन किया कि अक्त अंतगत  
 प्रकरण में वादी का प्रतिवादी से  
 राजीनामा हो गया है। इसलिए पत्रावली  
 आज पेशी में ली जाकर इसी स्तर  
 पर खारिज की जावे।

वादी व वादी अधिवक्ता को सुना  
 गया व पत्रावली का अवलोकन किया  
 गया। वादी द्वारा वादपत्र अंतगत धारा  
 88, 91, 92A, 188 RTA नोट प्रस करने  
 पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज  
 किया जाता है। पत्रावली विणति होकर  
 नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

Law and order court  
 पत्रावली



अपचांड अधिकारी (राजकोट)  
 करणपुर

*[Handwritten signature]*